

पत्र संख्या : ७ब/४७०२-यो० ज० सं०-०३/१२

13

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

प्रेषक,

एस० के० शतपथी  
 प्रधान सचिव।

सेवा में

मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, दुमका / राँची,  
 संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,  
 जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : १६.५.१२

विषय :-

माँग संख्या-५०-लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, लघु शीर्ष-१०१-सतही जल, उप शीर्ष-१८-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-०५-निर्माण, ४५-मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-५०P470200101180545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१२-२०१३ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट-१ में अंकित उप शीर्ष, विस्तृत शीर्ष एवं विपत्र कोड में दर्शाये गये कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1	५०-लघु सिंचाई विभाग/ ४७०२-लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	१०१-सतही जल/ १८-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण	०५-निर्माण, ४५-मुख्य निर्माण ५०P470200101180545	२४८.५१०
आवंटित राशि - ₹ दो करोड़ अड़तालीस लाख ईकावन हजार मात्र।				

2. आवंटित राशि वर्ष २०१२-२०१३ के बजट उपबंध रु. ४००.०० लाख (चार करोड़) मात्र के अन्तर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८ एवं १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३ के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति में वर्णित शर्तों का अक्षरशः पालन करते हुए तकनीकी स्वीकृति के अन्तर्गत एवं स्वीकृत कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
5. संबंधित मुख्य अभियंता एवं संबंधित अधीक्षण अभियंता योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक पर में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

(ओंकार नाथ)  
सहायक अभियंता(सुबोध कुमार सिंह)  
सयुक्त सचिव (अभि.)(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव  


7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

**नोट :** यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

**अनु. :- यथोक्त**

*h1*  
(एस0 के0 शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

13

रॉची, दिनांक :- 16.5.12

**प्रतिलिपि :-** महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/गोड्डा/गिरिडीह/हुसैनाबाद सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनु. :- यथोक्त**

*h2*  
(एस0 के0 शतपथी)  
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

13

रॉची, दिनांक :- 16.5.12

**प्रतिलिपि :-** प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख - I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची /वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**अनु. :- यथोक्त**

*m1*

*m2*

*m3*

*m4*

(ओंकार नाथ)  
सहायक अभियंता

(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव

*h1*  
(एस0 के0 शतपथी)  
प्रधान सचिव

पत्रांक -

13

/ रोमांची, दिनांक - १६.५.१९

परिशिष्ट - 1

मॉग संख्या-50-लघु सिंचाई विभाग

मुख्य शीर्ष - 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

लघु शीर्ष - 101-सतही जल,

उपशीर्ष - 18-लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड-50P470200101180545

उपबंध (वर्ष 2012-13) रु. 400.00 लाख

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	जिला	प्रखण्ड	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2012 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन			अन्युक्ति			
					प्रसंग	राशि		पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>चेकडैम निर्माण (चालू योजना)</b>														
1	लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरिडीह	गिरिडीह		तिसरी खरहाटाड नाला पर चेकडैम निर्माण	18/16.09.11	25.175	19.765	0.000						
				तिसरी बेहरातरी नाला पर चेकडैम निर्माण	18/16.09.11	21.349	18.447	0.000						
				देवरी टिहरा नाला पर चेकडैम निर्माण	18/16.09.11	23.522	21.152	0.000						
				देवरी मनकाडीहा नाला पर चेकडैम निर्माण	18/16.09.11	21.650	18.393	0.000						
				गाण्डेय सिमराढाब नाला पर चेकडैम निर्माण	18/16.09.11	28.208	19.795	0.000						
				जमुआ चौड़ी नाला पर चेकडैम निर्माण	18/16.09.11	26.946	18.859	0.000						
				बगादर दोन्दलो नाला पर चेकडैम निर्माण	18/16.09.11	27.713	17.791	0.000						
				गिरिडीह नावाडीह नाला पर चेकडैम निर्माण	18/16.09.11	31.565	16.455	0.000						
				गिरिडीह सुन्दरटाड नाला पर चेकडैम निर्माण	18/16.09.11	33.014	23.316	0.000	145.00	145.00				
				बेगावाद चौरा नाला पर चेकडैम निर्माण	18/16.09.11	23.562	19.441	0.000						
				बिरनी नावाडीह नाला पर चेकडैम निर्माण	18/16.09.11	31.933	21.865	0.000						
				गाँवा भूआलमारन नाला पर चेकडैम निर्माण	18/16.09.11	23.889	19.908	0.000						
				तिसरी मझली नदी पर चेकडैम निर्माण	18/16.09.11	30.545	22.858	0.000						
				बेगावाद खुदिया नाला पर चेकडैम निर्माण	18/16.09.11	26.755	21.463	0.000						
				डुमरी मट्योबेडा नाला पर चेकडैम निर्माण	18/16.09.11	30.813	-	0.000						
				बगोदर कारीटाड नाला पर चेकडैम निर्माण	18/16.09.11	23.180	14.107	0.000						
				पीरटाड कुलबन्ती नाला पर चेकडैम निर्माण	18/16.09.11	26.400	17.252	0.000						
				सरिया घिरुवाँ नाला पर चेकडैम निर्माण	18/16.09.11	25.487	14.954	0.000						
					योग	481.706	325.821	0.000	145.000	145.000				
<b>मध्यम सिंचाई योजना</b>														
2	लघु सिंचाई प्रमण्डल, हुसैनाबाद	मेदिनीनगर	पाण्डु	संगमा नाला मध्यम सिंचाई योजना का निर्माण	18/22.02.10	414.87	5.223	0.000	50.000	50.000				
				हरिहरगंज अमकर मध्यम सिंचाई योजना	3/24.05.08	492.00	422.25	0.000	50.000	50.000				
					योग	906.870	427.473	0.000	100.000	100.000				
<b>श्रृंखले कडैम निर्माण (चालू योजना)</b>														
3	लघु सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा	गोड्डा	गोड्डा	भेड़िया नदी पर श्रृंखले	18/19.12.06	73.00	48.417	0.000	3.510	3.510				
					योग	73.000	48.417	0.000	3.510	3.510				
					सकल योग	1461.576	801.711	0.000	248.510	248.510				

आवंटित राशि - ₹ दो करोड़ अड़तालीस लाख इकावन हजार मात्र।

(ओंकार नाथ)  
सहायक अमियंता(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अमि.)(बी. सी. निगम)  
विशेष सचिव(एस० के० शतपथी)  
प्रधान सचिव